न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारीः—उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः— 150/2016

वादपत्र अन्तर्गत धारा संख्याः— 88 आरटीए

1. बादूदेवी
2. कलावती } पुत्रिया गणेशाराम } जाति जाट निवासी शेरगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
3. मीरादेवी
4. शंकरलाल पुत्र चुन्नीराम उर्फ चूनाराम जाति जाट साकिन पोहड़का तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

—वादीगण

बनाम

1. गुड्डी देवी पुत्री चुनीराम उर्फ चूनाराम जाति जाट साकिन पोहड़का तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. परमेश्वरी पुत्री सजना जाति जाट साकिन शेरगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
3. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

—प्रतिवादीगण

उपस्थित :—
1— श्री नक्षत्र सिह सिद्धू — वकील वादीगण
2—श्री गुरमीत कलसी — वकील प्रति.संख्या 1

निर्णय दिनांक :— 19.08.2019

वादीगण अधिवक्ता ने यह वाद पत्र अन्तर्गत इस्तककरार हक के तहत पेश किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण का पंजीयत पता सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार वही है जो वाद शीर्षक मं दर्ज है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 एक ही परिवार के सदस्य है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है एवं मृतक बागाराम पुत्र देवसीराम के वंशज है हमारे परिवार की कृषि भूमि चक 14 एमकेएस खाता संख्या 26/20 खाता गणेशाराम वगैरा जमाबन्दी सम्वत 2070—73 में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चक के उक्त खाता की नकल जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है। उक्त आराजी पूर्व में बागाराम पुत्र देवीराम के नाम से चक 14 एमकेएस खाता संख्या 72/82 खाता बागाराम जमाबन्दी सम्वत 2033—36 में दर्ज राजस्व रिकार्ड थी। बागाराम पुत्र देवसीराम के फौत होने के बाद उक्त आराजी जरिए इन्तकाल संख्या 26 दिनांक 4.10.1977 के जरिए गणेशाराम , चूनाराम पि. बागाराम 2/3 हिस्सा व परमेश्वरी पुत्री सजना 1/3 हिस्सा के रूप में विरासतन दर्ज की गई जबकि नियमानुसार दिनांक 20.12.2005 से पूर्व में पुत्री का अपने पिता की सम्पति में कोई हक व हिस्सा निहित नहीं था इसलिए बागाराम पुत्र देवसीराम के दिसम्बर 2005 से पूर्व फौत हो जाने के कारण उनके नाम दर्ज अराजी में उनकी पुत्री का कोई हक व हिस्सा नहीं बनता था जबकि इन्तकाल संख्या 26 दिनांक 4.10.1977 के द्वारा बागाराम की पुत्री की पुत्री के नाम से राजस्व रिकार्ड में इन्तकाल दर्ज कर दिया गया जो कि गलत एवं विधि विरूद्व दर्ज किया गया है प्रतिवादी संख्या 2 का उक्त आराजी में कोई हक व हिस्सा निहित नहीं है प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज आराजी के गणेशाराम,चूनाराम उर्फ चुन्नीराम पि.बागाराम ही बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है। गणेशाराम पुत्र बागाराम भी फौत हो गए है जिनके विधिक वारिसान वादी संख्या 1 ता 3 ही उनके समस्त हक व हिस्सा की आराजी को विरासतन प्राप्त करने के अधिकारी एंव दावेदार हैं इसी प्रकार चूनाराम उर्फ चुन्नीराम भी फौत हो गए है जिनके विधिक वारिसान वादी संख्या 4 व प्रतिवादी संख्या 1 ही उनके समस्त हक व हिस्सा की आराजी को विरासतन हक व हिस्से का परित्याग वादी

संख्या 4 के पक्ष मे कर दिया है। अतः प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज आराजी के वादीगण ही बहिब के खातेदार काश्तकार है जिससे निस्फ हिस्सा के वादी संख्या 1 ता 3 बहिब के व शेष निस्फ हिस्सा का वादी संख्या 4 खातेदार काश्तकार है इसमे प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का कोई हक व हिस्सा शेष नहीं है इसी कदर घोषणा वादीगण प्राप्त करना चाहते है। राजस्व रिकार्ड में गणेशाराम पुत्र बागाराम के नाम से आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है गणेशाराम पुत्र बागाराम भी फौत हो गए है जिनके विधिक वारिसान वादी संख्या 1 ता 3 ही उनके समस्त हक व हिस्सा की आराजी को विरासतन प्राप्त करने के अधिकारी एवं दावेदार है इसी कदर की घोषणात्मक डिग्री वादी संख्या 1 ता 3 प्राप्त करना चाहते है। राजस्व रिकार्ड में चूनाराम उर्फ चून्नीराम पुत्र बागाराम के नाम से आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है चूनाराम उर्फ चुन्नीराम भी फौत हो गए है जिनके विधिक वारिसान वादी संख्या 4 व प्रतिवादी संख्या 1 ही उनके समस्त हक व हिस्सा की आराजी को विरासतन प्राप्त करने के अधिकारी एवं दावेदार है किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने समस्त विरासतन हक व हिस्से का परित्याग वादी संख्या 4 के पक्ष में कर दिया है। अतः प्रतिवादी संख्या 1 का उक्त आराजी में कोई हक व हिस्सा शेष नहीं रहा है चूनाराम उर्फ चुन्नीराम पुत्र बागाराम के नाम दर्ज आराजी का वादी संख्या 4 ही खातेदार काश्तकार है इसी कदर की घोषणा वादीगण प्राप्त करना चाहते है। वादीगण दावा की दफा 3 मे दर्ज आराजी पर दावा की दफा 4 ता 6 के मुताबिक काबिज होकर काश्त करता चले आ रहे है कब्जा काश्त बाबत कोई विवाद नहीं है लेकिन राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी उक्तानुसार वादीगण के नाम दर्ज नही होने से वादीगण के खातेदारी अधिकारो पर बुरा प्रभाव पड़ता है इसलिए वादीगण ने प्रतिवादीगण से कई दफा निवेदन किया कि आप दावा की दफा 3 में दर्ज आराजी का हम वादीगण को दावा की दफा 4 ता 6 के अनुसार खातेदार काश्तकार होना मान लो व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में हमारे नाम से अंकन करवा देवे तो इस पर प्रतिवादी वादीगण के इस निवेदन से इन्कार हो गए बस यही वाद कारण है। घोषणा इस आश्य की फरमाई जावे कि चक 14 एमकेएस खाता सख्या 26/20 खाता गणेशाराम वगेरा जमाबन्दी सम्वत 2070–73 में गणेशाराम, चूनाराम पि. बागाराम, परमेश्वरी पुत्री सजना के नाम दर्ज कुल अराजी के वादीगण खातेदार काश्तकार है जिसमें निस्फ हिस्सा के वादी संख्या 1 ता 3 बहिब के व शेष निस्फ हिस्सा के वादी संख्या 4 खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार वादीगण के नाम से अंकन किया जाकर उक्त खाता से गणेशाराम, चूनाराम पि.बागाराम, परमेश्वरी पुत्री सजना का नाम कलमजन किया जावे।

उक्त दावा पेश होने पर तथा सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया, तथा प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन के आदेश जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 जरिए अधिवक्ता अपना जवाब दावा पेश कर दावे को स्वीकार किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया तथा प्रतिवादी संख्या संख्या 3 तहसीलदार संगरिया ने अपना जबाबदावा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 का सम्मन बाद तामिल प्राप्त होने पर भी उपस्थित नहीं आई एवं न ही जवाब दावा आदि पेश किया। साक्ष्य वादी में वादी संख्या 1 बादू देवी पुत्री गणेशाराम की ओर से आदेश 18 नियम 4 सीपीसी का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया। वादी अधिवक्ता ने फार्म नं. 3 के साथ नकल इन्तकाल सख्या 26 मौजा शेरगढ़ व जमाबन्दी चक 14 एमकेएस खाता संख्या 26/20, खाता संख्या 72/82 तथा साथ ही गणेशाराम, भागी देवी का मृत्यु प्रमाण एव जयाज वारिसान तस्दीक सरपंच ग्राम पंचायत मानकसर से दिनांक 18.05.2013 को जारी किया गया है की फोटो प्रति पेश किया गया है। जो शामिल पत्रावली है। पैतृक सम्पति साक्ष्य में इन्तकाल सख्या 26 मौजा शेरगढ़ व जमाबन्दी चक 14 एमकेएस खाता संख्या 26/20, खाता संख्या 72/82 गणेशाराम, चूनाराम पि.बागाराम वगैरा की चित्र प्रतियां पेश की गई है जो शामिल पत्रावली है।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादीगण ने वाद पत्र के तथ्यों को दौराते हुए कथन किया कि वाद पत्र में वर्णित उक्त चकों की समस्त आराजी विरास्तन होने के कारण हमारा इसमें विरास्तन हक हिस्सा बनता है। वकील प्रतिवादीगण संख्या 1 ने वादीगण के वाद का कोई विरोध नहीं किया व वादपत्र को राजीनामा अनुसार स्वीकार किये जाने पर अपनी सहमति व्यक्त की गई। पैतृक सम्पति साक्ष्य में

इन्तकाल सख्या 26 मौजा शेरगढ़ व जमाबन्दी चक 14 एमकेएस खाता संख्या 26/20, खाता संख्या 72/82 गणेशाराम, चूनाराम पि.बागाराम वगैरा की चित्र प्रतियां पेश की गई है के संदर्भ में वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित होने से वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। वादपत्र में वर्णित आराजी को पैतृक सम्पति साबित करने हेतु वादीगण द्वारा पैतृक सम्पति साक्ष्य में इन्तकाल सख्या 26 मौजा शेरगढ़ व जमाबन्दी चक 14 एमकेएस खाता संख्या 26/20, खाता संख्या 72/82 गणेशाराम, चूनाराम पि.बागाराम वगैरा की चित्र प्रतियां पेश की है जिससे वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति है तथा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य उक्त आराजी की घोषणा बाबत सहमति का जवाबदावा पेश किया हुआ है। वाद पत्र में वर्णित आराजी को लेकर पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त विवेचनानुसार वाद वादीगण मुताबिक जवाब दावा अनुसार व पैतृक सम्पति के साक्ष्य के आधार पर वादी संख्या 2 परमेश्वरी देवी का नोटिस तामिल होने पर भी उपस्थित नहीं होन एवं न ही कोई अपना जवाब दावा पेश करनेके कारण इनका हक सुरक्षित रखते हुए वाद वादीगण आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतःवाद वादीगण मुताबिक जवाब के आधार पर आंशिक स्वीकार किया जाता है कि चक 14 एमकेएस खाता संख्या 26/20 खाता गणेशाराम वगैरा जमाबन्दी सम्वत 2070–73 में गणेशाराम, चूनाराम पि. बागाराम के नाम दर्ज कुल अराजी के वादी संख्या 1 ता 3 को 1/2 हिस्सा के तथा वादी संख्या 4 को 1/2 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त खातो से गणेशाराम, चूनाराम पि. बागाराम का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रतिवादी संख्या 2 परमेश्वरी पुत्री सजना का नाम यथावत रखा जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिग्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.08.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
पीठासीन अधिकारीः–उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः–150/2016

1. बादूदेवी
2. कलावती } पुत्रिया गणेशाराम जाति जाट निवासी शेरगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
3. मीरादेवी
4. शंकरलाल पुत्र चुन्नीराम उर्फ चूनाराम जाति जाट साकिन पोहड़का तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

–वादीगण

बनाम

1. गुड्डी देवी पुत्री चुनीराम उर्फ चूनाराम जाति जाट साकिन पोहड़का तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. परमेश्वरी पुत्री सजना जाति जाट साकिन शेरगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
3. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

–प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री नक्षत्र सिह सिद्धू वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री गुरमीत सिह कलसी वकील प्रतिवादीगण संख्या 1 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि चक 14 एमकेएस खाता संख्या 26/20 खाता गणेशाराम वगैरा जमाबन्दी सम्वत 2070–73 में गणेशाराम, चूनाराम पि. बागाराम के नाम दर्ज कुल अराजी के वादी संख्या 1 ता 3 को 1/2 हिस्सा के तथा वादी संख्या 4 को 1/2 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त खातो से गणेशाराम, चूनाराम पि. बागाराम का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रतिवादी संख्या 2 परमेश्वरी पुत्री सजना का नाम यथावत रखा जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निज.....नल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक.....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 19.08.2019 को जारी किया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2019.11.28 14:23:36 IST
Reason: SelfAttested
Location: